

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मंडल आयुक्त, दिल्ली सरकार के कार्यालय के अंतर्गत सभी सब-डिविजनों के उप-जिला मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को तत्काल ऐसे सभी सरकारी परिसरों के लिए संपदा अधिकारों के रूप में नियुक्त करते हैं जिन्हें संबंधित अंतरित कंपनियों को दिल्ली विद्युत सुधार (अंतरण स्कीम) नियमावली, 2001 के कारण दिल्ली सरकार के लाइसेंसधारी के रूप में हस्तांतरित किया जा चुका है। संपदा अधिकारियों का क्षेत्राधिकार वही होगा जो उप-जिला मजिस्ट्रेट का होता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
एस. एम. अली, उप-सचिव

DEPARTMENT OF POWER

NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2009

No. F. 11(60)/2009/Power/3061.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 read with the Government of India Ministry of Home Affairs, Notification F.No. U-11030/2/2003-UTL, dated 20th February, 2004, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint, with immediate effect, the Sub Divisional Magistrates (SDMs) of all the sub-divisions under the office of the Divisional Commissioner, Government of National Territory Capital of Delhi (GNCTD) as Estate Officers in respect of the public premises, which have been transferred to the respective transferee companies as licensee of the GNCTD by virtue of the Delhi Electricity Reform (Transfer Scheme) Rules, 2001. Territorial jurisdiction of the Estate Officers shall be the same as that of the SDMs.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

S. M. ALI, Dy. Secy

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)

अधिलुचनार्थ

दिल्ली 20 नवम्बर, 2009

सं. फा. डीटीयू/ओआरजी/एचओओ/अधि/04(1)/2009/841-845.—दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का दिल्ली अधिनियम 6) की धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुमोदन से इसके द्वारा कार्यक्रमों में दाखिला प्रौद्योगिकी उपाधि के लिए स्नातकपूर्व कार्यक्रम हेतु परीक्षाओं का प्रत्यासन के विषय में निम्नलिखित अध्यादेश बनाते हैं।

1. शैक्षणिक शीर्षक एवं प्रारंभ.—(क) यह अध्यादेश दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (प्रथम) अध्यादेश, 2009 कहा जाएगा।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषा.—(1) इन अध्यादेशों में जब तक पर्यंत से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "शैक्षणिक कार्यक्रम" में किसी पाठ्यक्रम या स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि के लिए किसी अन्य घटक का कार्यक्रम सम्मिलित है।

(ख) "शैक्षणिक वर्ष" का अर्थ है लगभग बारह महीने की अवधि जिसे शिक्षण योजना तथा संबंधित परीक्षाओं को विशेष अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए रखा गया हो।

(ग) "पाठ्यक्रम" का अर्थ है शैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें विशिष्ट कौशल संख्या तथा विशिष्ट क्रेडिट प्रदान किया गया हो।

(घ) "वार्षिक परीक्षा" का अर्थ है सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा।

(ङ) "परीक्षक" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक संस्थान का अध्यापक हो और विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम की परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

(च) "परीक्षा समिति" का अर्थ है परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण हेतु बनाई कोई समिति।

(छ) "मध्यावधि परीक्षा" का अर्थ है सेमिस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा।

(ज) "प्रश्न-पत्र तैयारकर्ता (पेंपर सैटर)" का अर्थ है विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक संस्थान या विश्वविद्यालय का शिक्षक जिसे प्रश्न-पत्र का कार्य सौंपा गया हो।

(झ) "पंजीकरण" का अर्थ है विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम के किसी सेमिस्टर के प्रारंभ में किसी सेमिस्टर या पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण।

(ञ) "सेमिस्टर प्रणाली" का अर्थ है ऐसा कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष को दो सेमिस्टरों में बांटा गया हो।

(ट) "विद्यार्थी" का अर्थ है विश्वविद्यालय के विभाग या अध्ययन विद्यापीठों तथा इसके द्वारा अनुपेक्षित या घटक संस्थान में किसी ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम में दाखिला दिया गया हो जिस पर यह अध्यादेश लागू होता है।

(ठ) "गलत माध्यम जांच समिति" का अर्थ है गलत माध्यम के मामलों को जांच के लिए तथा ऐसे मामलों में दंड की सन्तुति, यदि कोई है, के लिए समिति।

(2) इस अध्यादेश में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम तथा संधियों में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम या संधि में दिया गया है।

चेतावनी दी जाए, यदि आगे वह द्वितीय सत्र के समापन पर कम से कम पच्चीस क्रेडिट प्राप्त करने में असफल रहता है तो पाठ्यक्रम एवं विश्वविद्यालय से उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाए।

(3) यदि किसी विद्यार्थी ने आठवें सत्र के समापन पर कम से कम एक सौ क्रेडिट प्राप्त नहीं किए हैं तो पाठ्यक्रम एवं विश्वविद्यालय में उनका दाखिला रद्द माना जाएगा। पाठ्यक्रम में पंजीकरण से सातवें वर्ष के अंत में भी दाखिला रद्द माना जाएगा।

8. अध्ययन पाठ्यक्रमों का पंजीकरण.—(1) जो विद्यार्थी प्रथम सेमिस्टर में दाखिला लेगा उसे शिक्षण योजना के प्रथम सेमिस्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध विषयों के लिए पंजीकृत माना जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को द्वितीय तथा पश्चात्पूर्व सेमिस्टरों में विषयों के लिए पंजीकृत करवाना होगा।

(2) पंजीकरण की प्रक्रिया सेमिस्टर शुरू होने से तुरंत पहलू प्रारंभ होगी। विद्यार्थी यदि अन्यथा रूप से पात्र है, जिस विषय में प्रवेश लेना चाहता है उस पंजीकरण के दौरान पिछले सेमिस्टरों के विषय या विषयों का उल्लेख भी करेगा। ऐसे विद्यार्थी का अंतिम सेमिस्टर में बैठने की अनुमति दी जा सकती है तथा उसके मध्यावधि गतिविधियों के अंक अपरिवर्तित रहेंगे। उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण विद्यार्थी को उसी पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जायेगा जिसमें वह उपस्थित रह सकता है। पंजीकरण के लिए सैद्धांतिक विषयों की संख्या छह से अधिक नहीं होगी। कुल संपर्क घंटे प्रति सप्ताह सामान्यतः बत्तीस घंटे से अधिक नहीं होंगे।

(3) विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के किसी विषय में क्रेडिट प्राप्त करने के लिए न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे इसके लिए आन्तरिक मूल्यांकन तथा अंतिम सेमिस्टर परीक्षा के अंकों को जोड़ा जाएगा।

(4) यदि कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण हो तो वह अगले वर्ष अंतिम सेमिस्टर परीक्षा में पुनः परीक्षा दे सकता है। पुनः परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी को समुचित पंजीकरण करवाना होगा।

(5) यदि किसी विषय की पाठ्यक्रम विषय वस्तु या पाठ्यचर्या संशोधित हो जाती है योग्य विद्यार्थी या उस विषय में वृद्धि की दृष्टि से परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को केवल संशोधित पाठ्यक्रम विषय-वस्तु से ही परीक्षा में बैठना होगा। यदि कोई विशेष विषय हटा दिया जाता है तो विभाग हटाए गए विषय के बदले दूसरा समकक्ष विषय विनिर्दिष्ट कर सकता है और अयोग्य विद्यार्थी को मध्यावधि सेमिस्टर तथा अंतिम सेमिस्टर दोनों परीक्षाओं में बैठना होगा।

9. अपेक्षित उपस्थिति.—(1) किसी भी विद्यार्थी का प्रत्येक विषय में अलग-अलग कम से कम पिचहतर प्रतिशत उपस्थिति देनी होगी जिसके लिए वो पंजीकृत है।

बशर्त कि इस उद्देश्य के लिए कुलपति द्वारा संकायाध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया हो, विद्यार्थी को लिखित दिए गए कारण के लिए कम से कम 10 प्रतिशत तक उपस्थिति में छूट दी जा सकती है।

इसके अलावा कुछ असाधारण परिस्थितियों में कुलपति कम से कम पांच प्रतिशत तक उपस्थिति में और छूट दे सकते हैं।

इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी द्वारा एक सत्र में सात प्रतिशत से कम आनुपातिक उपस्थिति होने पर अंतिम सेमिस्टर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

(2) निम्न कागजात प्रस्तुत करने पर संकायाध्यक्ष द्वारा उपबंध (1) के अंतर्गत प्रथम शर्त के तहत छूट प्रदान की जा सकती है कि विद्यार्थी :—

- (क) प्राधिकृत गतिविधियों में व्यस्त हो;
- (ख) किसी बीमारी से ग्रस्त हो।

नोट :—

- (i) विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त दस्तावेज अध्ययन प्रारंभ करने के लिए सात दिनों के अंदर प्रस्तुत किए जाएं। बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी भी परिस्थिति में उपबंध (1) के अलावा उपस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।
- (iii) यदि विद्यार्थी विषयों में अपेक्षित उपस्थिति पूर्ण नहीं करता है तो उसका पंजीकरण रद्द हो जाएगा।
- (iv) उपस्थिति में छूट पर विचार के दौरान प्राधिकृत संकायाध्यक्ष उन सभी विद्यार्थियों के नाम अंतिम सत्र परीक्षा के प्रारंभ होने से पांच दिन पूर्व सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे जोकि सत्र परीक्षा के पात्र नहीं हैं और तदनुसार परीक्षा मंचालक को सूचित करेंगे।
- (v) किसी परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी गलती से किसी परीक्षा में बैठता है जोकि वास्तव में विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षा में बैठने से रोका गया था तो ऐसी परीक्षा के परिणाम पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे अमान्य एवं रद्द माना जाएगा।

10. पंजीकरण का रद्द होना.—(1) दिए गए सत्र में विश्वविद्यालय सभी विषयों में विद्यार्थी का पंजीकरण रद्द कर सकता है यदि वह :—

- (क) विश्वविद्यालय या हॉस्टल का संकाया देने में असफल रहता है;
- (ख) विश्वविद्यालय के सिनेट के विश्वात्मक पाठ्यक्रम के सत्र में पंजीकरण के रद्द होने के कारण उस दंडित किया जाना।

(2) कारण लिखित रूप में दर्ज करने के लिए विश्वविद्यालय किसी भी विद्यार्थी का परिणाम रोक सकता है।

11. परीक्षा शुल्क.—रेजिस्ट्रार, कुलपति के अनुमोदन से विभिन्न परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों द्वारा देय फीस को अधिसूचित करेंगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा के प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित फीस नहीं दी है वे परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं। यद्यपि कुलपति वास्तविक विपत्ति के विशेष मामलों में विद्यार्थी (विद्यार्थियों) को बिना परीक्षा शुभगतान किए परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं।

12. **सूच्यांकन समीक्षा.**—(1) संबंधित विभाग या अध्ययन विद्यापीठ के अध्ययन मंडल निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की डिग्री के लिए अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करेंगे, अर्थात्—

- (क) बी-टैक (इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग)
- (ख) बी-टैक (साफ्टवेयर इंजीनियरिंग)
- (ग) बी-टैक (आटोमोबाइल इंजीनियरिंग)
- (घ) बी-टैक (इंजीनियरिंग मौलिक विज्ञान)

(2) अध्ययन मंडल अध्ययन योजना का मुद्दा देना जो विद्या परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त लागू होगा।

(3) मंडल डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिटों का विनिर्देश तथा पाठ्यक्रमों के वर्गीकरण हेतु इसके विभाजन का विनिर्देश करेगा, जैसाकि—

- (क) मानविकी एवं समाज विज्ञान
- (ख) आधारभूत विज्ञान
- (ग) सम्बद्ध इंजीनियरिंग (अंतः विभागीय पाठ्यक्रम)
- (घ) विभागीय कोर/विभागीय इलैक्टिव
- (ङ) व्यावहारिक प्रशिक्षण
- (च) अनिर्दिष्ट/इलैक्टिव, एवं
- (छ) लघु एवं बृहद् प्रायोजना

(4) अध्ययन मंडल प्रश्न पत्र तैयार करने वालों तथा की परीक्षकों सूची तैयार करके परीक्षा नियंत्रक को भेजेगा जो कुलपति के अनुमोदन से परीक्षकों और प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को नियुक्त करेगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक निम्नलिखित प्रकारों का निष्कादन करेगा, अर्थात्—

- (क) प्रत्येक सेमिस्टर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लिखित परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र तैयार करने तथा उनकी जांच करने तथा रीपर सेंट की जांच करने एवं गोपनीय सामग्री तैयार करने के लिए।
- (ख) परीक्षा आयोजित करने तथा उसके संचालन के लिए एवं मध्याह्नि एवं अंतिम सेमिस्टर क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना। मध्याह्नि परीक्षा तथा निर्धारण के लिए लाभांक (बेटेज) का अनुपात 30 प्रतिशत होगा तथा अंतिम सेमिस्टर परीक्षा 20 प्रतिशत की होगी। मध्याह्नि निर्धारण एकाइनमेंट, श्रेणीक संयोजन द्वारा 10 प्रतिशत के लाभांक (बेटेज) सहित सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के लिए अनुपूरित होगी। व्यावहारिक पाठ्यक्रम के लिए 30 प्रतिशत लाभांक (बेटेज) आंतरिक सेमिस्टर परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। सेमिस्टर के अंत में विभागाध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक को मध्याह्नि क्रियाकलापों के लिए समेकित अंक अग्रणीत करेगा।
- (ग) अंतिम सेमिस्टर परीक्षा के केन्द्रीय मूल्यांकन तालिका एवं परीक्षा परिणाम आयोजित करना।
- (घ) मूल्यांकन के बारे में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्रतिवेदन पर विचार करना तथा परीक्षा समिति द्वारा यथा संस्त

उपचार उपाय करना। परीक्षा समिति को सेमिस्टर परीक्षा के परिणाम को नियंत्रित करने की शक्ति होगी। परीक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा। विद्यार्थी परीक्षा घोषित होने की तारीख से 7 दिनों के अंदर केवल अंतिम सेमिस्टर परीक्षा के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने।

(ङ) प्रश्न-पत्र तैयार करने वालों तथा परीक्षकों एवं गोपनीय सामग्री की गोपनीयता बनाए रखना तथा परीक्षा से संबंधित अभिलेखों की अभिरक्षा करना।

(च) कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कोई कार्य अथवा सविधियों में निर्धारित कोई अन्य कार्य।

13. **परिणाम का वर्गीकरण.**—(1) सेमिस्टर प्रदर्शन सूची (एसपीआई) विद्यार्थी द्वारा निम्नानुसार अंतीम सेमिस्टर के विषयों में प्राप्तांकों की प्रतिशतता तथा क्रेडिट्स के आधार पर परिकल्पित किया जाएगा।

सेमिस्टर प्रदर्शन सूची (एसपीआई) (विषय क्रेडिट × प्रतिशत)
(कुल क्रेडिट)

(2) डिग्री पाठ्यक्रम के लिए—डिग्री पाठ्यक्रम के लिए यथावश्यक न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने वाला कोई विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने का पात्र होगा। अंतिम परिणाम निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाएगा

(सीपीआई) (विषय क्रेडिट × प्रतिशत)

(कुल क्रेडिट)

(3) अनुक्रमणिका, सीपीआई के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत है:—

- (क) पंचहतर प्रतिशत या अधिक के निश्चित सीपीआई के साथ प्रथम श्रेणी;
- (ख) साठ प्रतिशत या अधिक की सीपीआई प्रथम श्रेणी परंतु पंचहतर प्रतिशत से कम;
- (ग) द्वितीय श्रेणी, पचास प्रतिशत या अधिक की सीपीआई परंतु साठ प्रतिशत से कम;
- (घ) तृतीय श्रेणी, चालीस प्रतिशत या अधिक की सीपीआई परंतु पचास प्रतिशत से कम।

14. **अनुचित तरीके से देखे गए कार्य.**—(1) किए गए अनुचित कार्य पर शैक्षिक परिषद् द्वारा निर्धारित दण्डवाही की जाएगी और संदेहास्पद या अधिकशकित या दर्ज किए गए अनुचित कार्यों से निपटाने की प्रक्रिया शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुचरित होगी।

(2) परीक्षा में किए गए अनुचित कार्यों के मामले कुलपति द्वारा नियुक्त अनुचित कार्य जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में अनुचित कार्य जांच समिति अपना निर्णय देगी और दंड की सिफारिश करेगी, कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

15. **डिग्री अर्जई किया जाता है.**—(1) किसी विद्यार्थी को बी-टैक डिग्री तथा अवार्ड की जाएगी यदि उसने पहले क्रेडिट कार्यक्रम

में विनिर्दिष्ट न्यूनतम दो सौ अट्हाईस क्रेडिट अर्जित किए हों जो कि उसमें उल्लिखित करता सकता है जिनका अधिकतम क्रेडिट दो सौ चालीस सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में हो।

(2) विद्यार्थी को अपनी प्रति सुनिश्चित करनी होगी तथा उन्हीं पाठ्यक्रमों में पंजीकृत कराए जिनमें किसी डिग्री को उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुसार क्रेडिट अर्जित कर सके।

(3) किसी विद्यार्थी के डिग्री पाठ्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करने पर न्यूनतम क्रेडिट के सर्वाधिक अंक (उपरोक्त शर्तों के पूरा होने पर) परिणाम के वर्गीकरण के उद्देश्य से विचार किए जाएंगे।

16. सामान्य शीघ्र—(1) सभी सैद्धांतिक पेपर (कोड : टी एन) के लिए का एक प्रथम-सेमिस्टर परीक्षा होगी, 20 अंक और 10 अंक अंतरिम असेसमेंट के लिए होंगे। अंतिम सत्र परीक्षा सत्र नम्बर के लिए 3 घंटे की होगी। थ्योरी पेपर के लिए कुल सौ अंक होंगे।

(2) सभी प्रैक्टिकल पेपर (कोड : पी आर) के लिए तीस प्रतिशत अंक के लिए मिड-टर्म असेसमेंट होगा और अंतिम सत्र परीक्षा के लिए सत्र प्रतिशत अंक होंगे।

(3) पांचवें सत्र के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए परीक्षा छठे सत्र के साथ आयोजित की जाएगी। विधिवत् रूप से गठित बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिपोर्ट का असेसमेंट होगा। इसी प्रकार छठे सत्र के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए सातवें सत्र की परीक्षा के साथ असेसमेंट होगा।

(4) आठवें सत्र तक बी-टेक कार्यक्रम के लिए सभी योजनाओं की परीक्षा में कुल क्रेडिट दो सौ चालीस होंगे और अंतिम परिणाम के लिए औसत अंक की गणना दो सौ अट्हाईस क्रेडिट होगी।

(5) पांचवें और छठे सत्र के बाद प्रैक्टिकल प्रशिक्षण तथा छोटी एवं बड़ी परियोजनाएं अनिवार्य हैं।

(6) जो अर्थवर्ती दो सौ अट्हाईस क्रेडिट प्राप्त करेगा उसे बी-टेक अंतिम परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया जाएगा बशर्ते उसने कार या एलाइड इंजीनियरिंग या एप्लाइड साइंस तथा ह्यूमैनीटी में विषय न बदला हो या चार से अधिक क्रेडिट में अयोग्य न रहा हो।

(7) किसी कोर्स या विषय में क्रेडिट अर्जित करने के उद्देश्य से विद्यार्थी को इंटरमन्य असेसमेंट तथा अंतिम सत्र परीक्षा में एक साथ कम से कम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

17. अतिरिक्त एवं अध्यादेश के प्रावधानों के तहत, अन्य प्रशासनिक मामलों जैसे—परीक्षा को गलत ढंग में संचालित करना, अन्य कदाचार, परीक्षा फार्म जमा करने की तिथि, डुप्लीकेट डिग्री जारी करना, उनका महनतावा तथा परीक्षा संचालन से संबंधित अन्य मुद्दों का निपटान शैक्षिक परिषद् द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

18. अधिनियम एवं अध्यादेश के प्रावधानों के तहत जो मुद्दे इन अध्यादेश के तहत नहीं आते हैं या विवाद की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यापकों या समिति से विचार के उपरोक्त निर्णय ले सकते हैं। कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

Delhi Technological University

NOTIFICATIONS

Delhi, the 20th November, 2009

No. F. DTU/ORG/HOO/Notification/04(1)/2009/041-046.—in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009), the Vice-Chancellor of the Delhi Technological University, with the approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following ordinance relating to Admission to Courses of Study, Conduct and Evaluation of Examinations for Under Graduate Programs Leading to Bachelor of Technology Degree.

1. Short title and commencement.—(a) This Ordinance may be called the Delhi Technological University (First) Ordinance, 2009.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Ordinances, unless the context otherwise requires,—

- "Academic Programme" includes a programme of courses or any other component leading to a Bachelor's degree or a Master's degree.
- "Academic year" means a period of nearly twelve months devoted to completion of requirements specified in the scheme of learning and the related examinations.
- "Course" means a component of the academic program, carrying a distinctive code number and specific credits assigned to it.
- "End-term examination" means examination conducted at the end of the semester.
- "Examiners" means persons who are the teachers of University or outside teachers of any other academic institution or university appointed to conduct examination of any of the program of the University.
- "Examination Committee" means a Committee constituted for the purpose of maintaining the standards of examination.
- "Mid-term examination" means examination conducted during the semester.
- "Paper setter" means a person, either a teacher of the University or outside teacher of any other academic institution or University, who has been assigned to set a paper.
- "Registration" means registration for a course or semester at the start of the semester of any program of the University.

- (j) "Semester system" means a program wherein each academic year is apportioned into two semesters.
- (k) "Student" means a person admitted to the Department or Schools of Study of the University and its maintained or constituent institutions for any of the academic programs to which this Ordinance is applicable.
- (l) "Unfair Means Scrutiny Committee" means a Committee for scrutinizing the cases of unfair means and for recommending punishment, if any in such cases.

(2) Words and expressions used but not defined in this Ordinance and defined in the Act and statutes, shall have the meanings respectively as assigned to them in the Act and Statutes.

3. Eligibility for Admission.—(1) A candidate seeking admission to Bachelor of Technology (B. Tech.) courses shall satisfy the following conditions, namely:—

- (a) Educational Qualifications.—A candidate passing anyone of the following examinations and securing at least sixty per cent marks in the aggregate of physics, chemistry and mathematics subjects, shall be eligible for admission to the first Semester of Bachelor of Technology Course provided he has secured minimum passing marks in each subject separately, namely:—
 - (i) Senior School Certificate Examination conducted by the Central Board of Secondary Education, New Delhi;
 - (ii) Indian School Certificate Examination conducted by the Council for Indian School Certificate Examination, New Delhi;
 - (iii) Bachelor of Sciences (General) or Bachelor of Sciences (Honors) examination of a recognized University with combination of physics, chemistry and mathematics with minimum aggregate of sixty per cent marks;
 - (iv) Any other examination recognized as equivalent to the Senior School Certificate Examination of the Central Board of Secondary Education by the University.

Note: A candidate must additionally have passed English language as a subject of study at the senior school certificate examination level (core or elective).

- (b) A candidate satisfying the eligibility conditions shall be admitted to the program of studies on the basis of the criteria as laid down by the Academic Council. Such a criteria may

be the merit of an entrance exam conducted by the University or any agency recognized and approved by University.

(2) After the first Semester there shall be no direct admission to any semester of the Courses.

4. Composition and Functions of Board of Studies.—(1) The Board of Studies of the department school of studies shall consist of the following members, namely:—

- (a) Head of the department or school of studies —Chairman
- (b) All Professors of the department or school of studies —Members
- (c) Two experts appointed by the Vice-Chancellor —Members
- (d) Two Associate Professors or Assistant Professors of the department or school of studies, by rotation —Members

(2) The term of the members of the Board of Studies other than the professors shall be two years.

(3) The Board of Studies shall, in addition to the functions prescribed, perform the following functions:—

- (a) prepare the scheme of learning and scheme of examination for each programme and make recommendations for updating the syllabi to the Academic Council;
- (b) formulate guidelines for the process of registration;
- (c) In case of difference of opinion, suggest interpretation of the Ordinances and submit its recommendations to the Vice-Chancellor, whose decision shall be final.

(4) Under exceptional circumstances, minor relaxations in Ordinances may be allowed in the first Semester by the Board of Studies with the approval of the Vice-Chancellor. There shall not be such a relaxation in Ordinance in a subsequent semester. In case the condition warrants such a relaxation again, the condition of Ordinance may be pronounced.

5. Composition and Functions of the Examination Committee.—(1) The Examination Committee for the program, shall consist of the following, namely:—

- (a) Dean (Academic)—Chairman of the Committee;
- (b) All Heads of the departments —Members;
- (c) The Controller of examination —Member.

(2) The Examination Committee shall formulate the guidelines for maintenance of the standards of examination and shall be responsible for

- (a) review and moderation of the examination results;
- (b) consideration of the representation of the students in relation to their examination result;
- (c) consideration of the unfair means practices and decisions thereof for recommendation of the penalty, if any.

6. **Classification of Courses.**—(1) Under each B. Tech. Degree program certain subjects are offered which may be classified as Theory or Practical or Drawing or Design or Minor Project or Major Project or Practical Training. Further classification is based on the relationship of the subjects with the degree program admitted to, namely Humanities and Social Science or Basic Sciences or Allied engineering or Departmental, Inter-departmental courses, core or departmental elective, open electives and self-study.

(2) In addition to the above, the Board of Studies of the concerned Department may classify any subject as a compulsory one or as one of the pre-requisite for another subject.

7. **Duration and Span of the Programme.**—(1) The duration of the B. Tech. course shall not be less than eight semesters and the maximum span of the course shall be seven years.

(2) A student who has earned not more than fifteen credits at the end of the first semester shall be given a warning for his poor performance. Further if he fails to earn at least twenty-five credits at the end of the second semester, his registration shall be cancelled from the course and the University.

(3) In case a student has not earned a minimum of one hundred credits at the end of eighth semester, his admission to the course and the university shall stand cancelled. The admission shall also stand cancelled at the end of seventh year from the registration in the course.

8. **Registration of Courses of Study.**—(1) A student who joins the first semester will be automatically deemed to have registered for the subjects which are listed under the first Semester of the scheme of learning. Every student shall be required to register for the subjects in the second and subsequent semesters.

(2) The process of registration shall start just before the start of next semester. The student shall also indicate during registration of subject or subjects of earlier Semester(s) in which he desires to appear, if otherwise eligible. Such a student may be allowed to appear in the end semester examination and his marks of mid terms activities will remain unaltered. Since, attendance is compulsory, a student will be permitted to register for course or courses which he can attend. The number of theory subjects permitted for registration shall not be more than six. The total contact hours should not ordinarily exceed thirty-two hours per week.

(3) In order to get credit for any subject or course, a student has to earn a minimum of forty per cent marks in

the internal assessment and end semester examination taken together.

(4) If a student does not qualify, he can re-appear in the end semester examination next year. The student has to do appropriate registration for reappearing in the examinations.

(5) In case, the course content or syllabus of the subject is revised, a disqualified student or student seeking improvement in that subject may appear in the revised course content only. In case a particular subject is discontinued, the department can specify another equivalent subject in lieu of the discontinued subject, in which the disqualified student has to appear in both the mid semester and end semester examinations.

9. **Attendance Requirements.**—(1) A student has to put in a minimum of seventy-five per cent attendance separately in each subject for which he has been registered.

Provided that the Dean, authorized by the Vice-Chancellor for this purpose, may relax the minimum attendance up to ten per cent for reasons to be recorded in writing.

Provided further that, under exceptional circumstances, the Vice-Chancellor may further relax the minimum attendance up to five percent.

Provided furthermore that under no circumstances, a student who has an aggregate attendance of less than sixty per cent in a semester shall be allowed to appear in the semester end examination.

(2) The relaxation provided in first proviso under Clause (1) may be considered by the Dean on production of documents showing that the student was,—

- (a) busy in authorized activities;
- (b) suffering from any disease.

Note:—(i) A student should submit the documents to the above effect within seven days of resuming the studies. Documents submitted thereafter will not be considered.

(ii) No relaxation in attendance beyond clause (1) shall be allowed in any case.

(iii) The registration of a student shall stand cancelled if he does not fulfill the attendance requirements in the subject(s).

(iv) While considering the relaxation in the attendance, the authorized Dean shall display on notice board, the names of all such students who are not eligible to appear in the semester end examination of the subjects due to shortage of attendance at least, five calendar days before the start of the end semester examination and simultaneously intimate the same to the Controller of Examination.

(v) In case any student appears in any examination, by default, who in fact should

4227 Dg/1009-2

have been detained by the University in the said examination, the result of such examination shall not be considered by the University and the same shall be treated as null and void.

10. Cancellation of Registration.—(1) The University may cancel the registration of a student in all the subjects in a given semester if he—

- (a) fails to clear the dues to the University or hostel;
- (b) a punishment is awarded to him leading to the cancellation of registration in the course in the semester/expulsion from the rolls of the University.

(2) For the reasons to be recorded in writing, the University may withhold the result of any student.

11. Examination Fees.—The Registrar, with the approval of Vice-Chancellor, shall notify the fees payable by students for various examinations. A student who has not paid the prescribed fees before the start of the examination shall not be eligible to appear in the examinations. The Vice-Chancellor, however, in exceptional cases of genuine hardship may grant permission to a student (students) to appear in the examination without the payment of the examination fee.

12. Evaluation and Review.—(1) The Board of Studies of the concerned department or school of study shall specify the requirements for the degree in following courses, namely:—

- (a) B. Tech (Electrical and Electronics Engineering);
- (b) B. Tech (Software Engineering);
- (c) B. Tech (Automobile Engineering);
- (d) B. Tech (Engineering Physics).

(2) The Board of Studies shall suggest Scheme of learning which shall come into operation on the approval of the Academic Council.

(3) The Board will specify minimum credits needed for the degree course and break up in terms of classification of courses, that is to say,—

- (a) Humanities and Social Sciences;
- (b) Basic Sciences;
- (c) Allied Engineering (Inter-Departmental Courses);
- (d) Departmental Core (Departmental Electives);
- (e) Practical Training;
- (f) Unspecified Elective; and
- (g) Minor and Major Project.

(4) The Board of Studies shall recommend the panel of paper setters and examiners to the Controller of

Examination who would appoint examiners and setters with the approval of the Vice-Chancellor.

(5) The controller of examinations shall perform following functions, namely:—

- (a) get the examination papers set and prepare confidential material from the paper setters and examiners of various examinations before the start of each Semester Examination.
- (b) organize and conduct the examination and evaluation of the mid-term and end-semester activities. The proportion of weightage for mid-term examination and assessment shall be thirty per cent and the end semester examination shall be seventy per cent. The mid-term assessment will be supplemented by assignments, quizzes etc. for a theory course with weightage of ten per cent. For a practical course, thirty per cent weightage will be given for internal evaluation and seventy per cent shall be given for end semester examination. At the end of the Semester, the Head of the department shall forward to the Controller of Examination, the consolidated marks for the mid-term activities.
- (c) organize Central evaluation of end-semester examination, tabulation and declaration of results.
- (d) consider the individual representation of student about evaluation and take the remedial action as recommended by the examination committee. The examination committee shall have the power to moderate the result of the semester examination. The decision of the examination committee shall be final. The student shall apply for the same on a prescribed Proforma along with the evaluation fee prescribed by the University from time to time only for the end Semester Examination within seven days from the date of declaration of result.
- (e) maintain the secrecy and confidentiality of the paper setters and examiners and confidential material and be the custodian of records related to examination.
- (f) any other function assigned by the Vice Chancellor or prescribed in the statutes.

13. Classification of Result.—(1) The Semester Performance Index (SPI), shall be calculated on the basis of the credits and percentage of marks secured in the subjects of the semester passed by the student as follows: Semester Performance Index, SPI

$$= \frac{\sum (\text{Subject Credits} \times \% \text{ Marks Secured})}{(\sum \text{Total credits of the semester})}$$

(2) Cumulative Performance Index (CPI) for the Degree Course.—A student having secured the minimum

credit as needed for the degree course will be eligible for the award of degree. The final result will be evaluated as follows:

Cumulative Performance Index:

$$CPI = \frac{\sum (\text{Subject Credits} \times \% \text{ Marks Secured})}{\sum (\text{Credits for the course})}$$

(3) The final result will be classified based on the Cumulative Performance Index (CPI), as follows:—

- First Class with distinction, CPI of seventy five per cent or more;
- First Class, CPI of sixty per cent or more but less than seventy five per cent;
- Second Class, CPI of fifty per cent or more but less than sixty per cent;
- Pass Class, CPI of forty per cent or more but less than fifty per cent.

14. Use of unfair means practice.—(1) The action deemed as "unfair means practice" shall be specified by the Academic Council and procedure for dealing with cases of suspected or alleged or reported use of unfair means practice shall also be approved by the Academic Council.

(2) All cases regarding reported use of unfair means practices in the examination shall be placed before the Unfair Means Scrutiny Committee's appointed by the Vice-Chancellor. The Unfair Means Scrutiny Committee shall give its decision in individual cases, and recommend penalties, if any in such cases to the Vice-Chancellor, whose decision shall be final.

15. Award of the Degree.—(1) The B.Tech Degree shall be awarded to a student if he has earned a minimum of two hundred twenty eight credits as specified in each degree program subject to break up and compulsory credit as mentioned therein. However, a student may register in subjects leading to a maximum of two hundred forty credits in the entire course.

(2) A student has to ensure his progress and register in those courses in which he must earn the credit to satisfy the above requirement of the particular degree course.

(3) In student's case where he has earned the minimum credit for degree course the best marks in the minimum credits (satisfying the above conditions) will be considered for the purposes of classification of result.

16. General Notes.—(1) For all Theory Papers (Code: TH) there will be one mid-semester test, twenty marks and ten marks shall be assigned for internal assessment. The end-semester examination shall be of three hours duration for seventy marks. The total marks for the Theory Paper shall be one hundred.

(2) For all Practical Papers (Code: PR) there shall be mid-term assessment for thirty per cent marks and an end-semester examination for seventy per cent marks.

(3) The examinations for Industrial Training after fifth semester, shall be conducted along with the sixth semester. There shall be assessment of Practical Training Reports by a duly constituted Board. Likewise, for industrial training after sixth semester the assessment will be along with seventh semester examination.

(4) The total credits in all scheme of Examinations for B.Tech. program up to eighth semester will be two hundred forty and the denominator for calculation of average marks for final result will be two hundred twenty eight credits.

(5) The Practical Training after fifth and sixth semester and the minor and major projects are mandatory.

(6) The candidates securing a minimum of two hundred twenty eight credits shall be declared to have been qualified the B.Tech. final examination, provided they have not skipped or disqualified in more than four credits, in Core or Allied Engineering or applied sciences and humanities.

(7) In order to earn credit in any course or subject, a student should earn a minimum forty per cent marks in internal assessment and end semester examination taken together.

17. Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, the other administrative issues, such as disorderly conduct in examinations, other malpractices, date for submission of examination forms, issue of duplicate degrees, re-amination and any other matter connected with the conduct of examinations shall be dealt as per the guidelines approved for the purposes by the Academic Council.

18. Subject to the provisions of the Act and Statutes and these Ordinances, the issues not covered by these Ordinances, or in the event of differences of opinion for the same, the authority may take a decision after obtaining the opinion of a Committee consisting of any or all the Deans of the University. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.

सं. फा. 16 (एस)/2004/टीई/एड/ओ.सहा./2259-63—गृह मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 24-9-1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78,68-डीएच(एस) के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के प्रावुक्त द्वारा ज्ञापन पत्रिकाओं का प्रयोग करते हुए तथा संकेत विभाग के अनुमोदन सहित दिल्ली के प्रशासक इसके द्वारा—

- इसके साथ संलग्न अधिसूची में वर्गीकीकी एवं प्रशिक्षण जिस विदेशीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्र दिल्ली सरकार के अश्रीम वर्गीकीकी महायुक्त कुमेशाला अनुसूचक तथा प्रजातन्त्राला अनुसूचक के 12 पर अनुसूचक के लिए भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं से संबंधित नियम बनाने हैं तथा

(ii) दिनांक 14-5-1968 की अधिसूचना सं. का. 2(11)68-सेवा-(सी) तथा दिनांक 8-11-1968 की अधिसूचना सं. 2(64)82-सेवा-11 के अनुसार पूर्ण अधिकृत प्रयोगशाला सहायक कर्मशाता अनुचर तथा प्रयोगशाला अनुचर के पद के नियमों को निरस्त करते हैं।

परिशुद्ध एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी राज्य और दिल्ली सरकार के अधीन डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों (पॉलीटेक्निक) में तकनीकी सहायक के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या पद अधिन अथवा गैर-अधिन है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या सेवा के जेडे पद वर्ग का लाभग्रह है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. तकनीकी सहायक	158	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अज्ञातप्रज्ञित, भलिपिकीय	5200- 20,200 रु. ग्रेड पे 2400 रु.	गैर-अधिन	18-27 वर्ष (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों अनु.जा./अनु. जनजाति/अनु. पिछड़े वर्ग के लिए शिथिलनीय)	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी

परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत

(8)	(9)	(10)	(11)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से पैट्रिकुलेशन या समकक्ष।	नहीं	दो वर्ष	25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
(2) तकनीकी शिक्षा/रान्य बोर्ड/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सुसंगत ग्रेड में कम से कम दो वर्षों की नियमित अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष अथवा सुसंगत क्षेत्र में विज्ञान की स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष। काल्पनिक : कामगुदा अनुभवों का ज्ञान।			

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?

यदि परिस्थितियां विनियम भर्ती के लिए संभव तक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है

(12)	(13)	(14)
पदोन्नति : 5200-20200 रुपए के पे बैंड सहित 1400 रुपए ग्रेड पे में, ग्रेड पे में आठ वर्ष की अर्हक सेवा रखने तथा निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताधारी वर्कशाप/प्रयोगशाला	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. संबंधित विभाग के अधिकारी 2. विभागाध्यक्ष 3. अतिरिक्त सदस्य 30 एवं 30	लागू नहीं

(12)

सहायक-10वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सुसंगत
ट्रेड में एक वर्षीय अन्तर्ष का एनएससी/
एनटोसी प्रमाण-पत्र अथवा समकक्ष
अथवा

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से भौतिकी
रसायन, गणित (पीसीएम्) या भौतिकी
रसायन जीव विज्ञान (पीसीबी) सहित
12वीं कक्षा उत्तीर्ण ।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों
(शैक्षिक/वैशेषिक) में कर्मणालय (वर्कशॉप) अनुचर के पद के धर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	कक्षा पद ज्ञान अथवा गैर चयन है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभग्रहण है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. कर्मणालय अनुचर	08	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराज्यपाल अल्पविकीय	\$200- 20,200 रु. ग्रेड पे 1900 दफ्ते	चयन	18-27 वर्ष (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों/ अनु.जा./अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग के लिए शिथिलनीय)	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी

परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो

धर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों में भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत

(8)	(9)	(10)	(11)
(1) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	नहीं	दो वर्ष	25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
(2) सुसंगत ट्रेड में कम से कम एक वर्ष अन्तर्ष का एन.एस.सी./एन.टो.सी. प्रमाण-पत्र अथवा समकक्ष ।			

यदि पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति सभित हो तो उसको संरचना क्या है?

वे परिस्थितियां जिनसे भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाता है

(13)

(13)

(14)

पदोन्नति : 1,500 रुपये के ग्रेड पे में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित परदेस्य ऑपरेटर

अनु.ह. 'ग' विभागीय प्रोन्नति उपरिस्थित संशोधित विभाग के सचिव

सकृ कार

--अध्यक्ष

(1)	(2)
परमर्तः अयोग्य (पौडीवार, गलाम, पाली)	1. विभागाध्यक्ष — संतुष्ट
कमीनः कौकीय एवं खोपण्ड्योपर (बाउर)	2. अतिरिक्त सचिव, कु. एवं प. — संतुष्ट
कौकीय बाउर (सैन्य)	

अभ्यर्थण एवं कर्मचारी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी राज्य द्वारा दिल्ली सरकार के अधीन डिप्लोमा कर्मीय संस्थाओं (पॉलीटेक्निक) में प्रयोगशाला अनुसार के पद के भर्ती नियम

अवकाश	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अप्य पद नियम अथवा नियम-चयन है	सौधी भर्ती वाले उपमोदवारों के लिए आयु-सीमा	अप्य सेवा के जोड़े का लाभग्रह
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अध्यापक अनुभव	10	सामान्य कन्द्रीय सेवा समूह 'प' वर्ग-अवस्थित, अतिरिक्तिय	\$200-30,200 रु. ग्रेड पै (9A) रु. एवं	लागू नहीं	15-27 वर्ष (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों अनु.जा. अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों सामौकिक रूप से विकलांग के लिए (निश्चलनीय)	लागू नहीं

सौधी भर्ती वाले उपमोदवारों के प्रयोगशाला शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं

अप्य सौधी भर्ती वाले उपमोदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा परदे-भरि वाले उपमोदवारों पर भी लागू होगी

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की प्रकृति : सौधी भर्ती द्वारा प परदे-भरि द्वारा या प्रतिनिधुयित/स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पदों/तथों में भरे जाने का रिक्त पदों का प्रतिभार

(8)	(9)	(10)	(11)
पौडीय, संसाधन एवं गणित (पौडीय) विषयों परित किमी मान्यता-प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास अथवा पौडीय, संसाधन एवं जीव विज्ञान (पौडीय) विषयों परित किमी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास।	नहीं	सं वर्ष	अत-प्रतिशत शौधी भर्ती द्वारा

यदि पौडीयों में से कुलित उपमोदवारों द्वारा भर्ती होगा तो प्रदे-भरि/अन्यतः सौधी/प्रतिभार/स्थानांतरण किया जाएगा है

यदि कोई विकलांग है/यदि अतिरिक्त हो तो उपमोदवारों पर अप्य है?

परिीक्षा एवं नियमों को लिए पाठ सामग्री सेवा अथवा का परमर्त किया जाना है

(12)	(13)	(14)
लागू नहीं	अप्य पर अतिरिक्त शौधी प्रतिभार (शारीकरण के लिए): 1. संबंधित विभाग के सचिव — संतुष्ट 2. विभागाध्यक्ष — संतुष्ट 3. अतिरिक्त सचिव कु. एवं प. — संतुष्ट	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार/राज्य सरकार के आदेश तथा उनमें जो को. के. सैन्य, अतिरिक्तिय

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

Delhi, the 20th November 2009

No. F. 16 (M)/2004/TE/AD/Lab Attendant, 2239-65.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 24/78/68-DH-(S), dated 24-9-1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the approval of the Department of Services, Delhi Administration, is pleased :—

- (i) to make the Recruitment Rules in the Schedule hereto annexed, regarding the method of recruitment and qualifications necessary for the appointment to the post of Technical Assistant, Workshop Attendant and Laboratory Attendant under the Directorate of Training and Technical Education, Government of NCT of Delhi, and
- (ii) to cancel the recruitment rules for the post of Lab Assistant, Workshop Attendant and Laboratory Attendant in Directorate of Training and Technical Education earlier notified vide notification No. F. 2 (1)/68-Services (C) (II), dated 14-5-68 and F. 2(64) 82-S II dated 8-11-85.

Recruitment Rules for the Post of Technical Assistant in the Diploma Level Institutions (Polytechnics) under Directorate of Training and Technical Education, GNCT of Delhi

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age Limit	Whether benefit of added years of service admissible
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technical Assistant	168	GCS, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection	18—27 years. Relaxable for Govt. servants/SC/ST/OBC as per instructions issued by the Govt. of India from time to time.	NA

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and qualifications (Educational) prescribed for direct Recrt. will apply in case of promotees.	Period of probation, if any	Method of Recrt. : whether by direct recrt., or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies is to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
1. Matriculation or equivalent from recognized board. 2. Diploma minimum of 2 years of regular duration in the relevant trade awarded by the State Board of Technical Education Recognized university or equivalent	No	2 years	25% by promotion failing which by direct recruitment 75% by direct recruitment
OR			
Bachelor of Science Degree in relevant field or equivalent. Desirable : Knowledge of computer application.			

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfers to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
--	---	--

(12)

(13)

(14)

Promotion : Workshop/Laboratory Attendant in the pay band of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1900 having 8 years qualifying service in the grade and possessing educational qualification as under : Passed 10th and NAC/NTC certificate in relevant trade of minimum one year duration or equivalent

Group 'C' DPC

NA

(i) Secretary of the concerned department —Chairman

(ii) Head of Department —Member

(iii) Additional Secretary L&E—Member

OR

12th pass from a recognized Board with Physics, Chemistry, Maths (PCM) or Physics, Chemistry, Biology (PCB).

Recruitment Rules for the Post of Workshop Attendant in the Diploma Level Institutions (Polytechnics) under Directorate of Training and Technical Education, GNCT of Delhi

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age Limit	Whether benefit of added years of service admissible
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Workshop Attendant	58	GCS, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 1900	Selection	18—27 years. Relaxable for Govt servants/SC/ST/OBC/PH as per instructions issued by the Govt. of India from time to time	NA

Educational and other qualifications required for Direct Recruitment

Whether age and qualifications (Educational) prescribed for direct rectrl. will apply in case of promoters

Period of probation, if any

Method of Rectrl. : whether by direct rectrl., or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies is to be filled by various methods

(8)

(9)

(10)

(11)

1. 10th pass.
2. NAC/NTC certificate in relevant trade of minimum one year duration or equivalent

No.

2 years

75% by promotion failing which by direct recruitment
25% by direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfers to be made

If a DPC exists what is its composition

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

(14)

Promotion :— Gestetner operator, Daftry, Peon/Chowkidar/Parrash/Mzli/Cleaner/Chowkidar-cum-sweeper/Sweeper/Water-carrier/Waterman with 5 years of regular service in the grade pay of Rs. 1800

Group 'C' DPC :—

NA

(i) Secretary of the concerned department —Chairman

(ii) Head of Department —Member

(iii) Additional Secretary L&E—Member

Recruitment Rules for the post of Lab. Attendant in the Diploma level Institutions (Polytechnics) under Directorate of Training & Technical Education, GNCT of Delhi.

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age Limit	Whether benefit of added years of service admissible
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laboratory Attendant	71	GCS, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 1900	N.A.	13—27 years. Relaxable for Govt. servants. SC/ST/OBC/PH/as per instructions issued by the Govt. of India from time to time.	N.A.
Educational & other qualifications required for Direct Recruitment:		Whether age & qualifications (Educational) prescribed for Direct Recrtn. will apply in case of promotees		Period of Probation, if any	Method of Recrtn. whether by Direct recruit., or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies is to be filled by various methods	
(8)		(9)		(10)	(11)	
I. 12th pass from a recognized Board/University with Physics, Chemistry & Maths (PCM) as subjects or 12th pass from a recognized Board/University with Physics, Chemistry & Biology (PCB) as subjects.		No		2 years	100% by direct recruitment.	
In case of Recruitment by Promotion/Deputation / Transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made		If a DPC exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment		
(12)		(13)		(14)		
N.A.		Group 'C' DPC (for confirmation) (i) Secretary of the concerned department —Chairman. (ii) Head of the concerned department —Member. (iii) Additional Secretary, L&B—Member		N.A.		

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
V. K. JAIN, Addl. Secy.